

४२

रस्ता २२ लालिक

२३/७/१९ वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जयें सम्मन तलब किया जाये । भत्रावली वाले जवाब दिनांक २४/०८/१९ का पेश हो ।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

२४/८/१९ पडावली पेश हुयी। वकील वाकी डप. वाकी की ओर से इन वकील की P.K. डडा वकालत नामा पेश किया जो शामिल पडावली किया गया। व प्रतिवादीगण १ ग ५ की ओर से वकील की K.S.P. डडा वकालत नामा व १ ग ५ की ओर से जवाब की पेश किया जो शामिल पडावली किया गया। व प्रतिवादीगण न. ५६, आवण्ड सुच्छा के अनु. रहने से इनका विवेक रख पकीप कार्य वाकी डडा वकालत नामा पेश हुयी वरिष्ठ वधम शा. वाकी पिलर २५-९-१९ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

२५-९-१९ पडावली पेश हुयी। अविष्कृत डम्प पत्र डप. / पडावली वरिष्ठ वधम पिलर ९-१०-१९ को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

९-१०-१९ पडावली पेश हुयी। अविष्कृत डम्प पत्र डप. / वाकी व डडावाकी डडा पडावली से आगे काई कार्यवाही चाहेन हेतु विवेक किया व अविष्कृत किया हो। अतः पडावली से आपकी कार्यवाही होने से पडावली में अथवा कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः पडावली कार्यवाही रूप किया हो। पडावली मोर डुप्राट डेपार गवरर से क्या हो।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

मनोहर
२५/९/१९
वा. ड. म.

